भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2109

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना का उन्नयन

†2109. श्री दुरई वाइको:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला मुख्यालय अस्पतालों, तालुका अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से इन जिलों में नए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र स्थापित करने या मौजूदा संस्थानों के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त जिलों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु किसी केंद्रीय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका रख-रखाव करने और उनको स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधन सीमा के अंतर्गत उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों के लिए स्वीकृत पीआईपी (कार्यवाही रिकॉर्ड-आरओपी) के हिस्से के रूप में स्वीकृत कार्यक्रमों का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744.

राज्यों द्वारा अपनी "कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना" (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के उन्नयन और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों की तैनाती का प्रस्ताव राज्यों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में किया जाता है और इसे मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

तमिलनाडु में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों सहित स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा एनएचएम के अतिरिक्त विभिन्न पहलें की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. तमिलनाडु राज्य के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के सीएसएस घटक के अंतर्गत, राज्य को पाँच वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 708 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), जिला स्तर पर 38 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) और जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज स्तर पर 39 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 1656.32 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ii. तमिलनाडु राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-15वां) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए 4249.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और अब तक स्थानीय निकायों को 4249.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के लिए पूंजीगत लागत भी शामिल है।

iii. आपातकालीन कोविड अनुक्रिया पैकेज - II (ईसीआरपी-II) के अंतर्गत, बाल चिकित्सा परिचर्या इकाइयों, बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र, प्रीफैब इकाइयों के प्रावधान द्वारा अतिरिक्त बिस्तरों की वृद्धि, जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि, 50 और 100 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पतालों, रेफरल परिवहन और चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली के साथ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए सहयोग प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई), 2023-24 के अनुसार, तमिलनाडु सहित देश में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf
